न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 49/2019

प्रार्थी :–

1. कंकुदेवी बेवा चुन्नीलाल
2. मीठालाल पुत्र चुन्नीलाल
3. डूंगरराम पुत्र चुन्नीलाल
4. जोगाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति घांची निवासीयान, बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. बुधे खां पुत्र हुसैनखां जाति मुसलमान
2. गणपत गोदपुत्र केवलराम
3. कालुराम पुत्र राणाराम
4. भंवरलाल पुत्र राणाराम
5. केवलराम पुत्र चिमनाजी सभी जातियान घांची सभी निवासी बालोतरा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री रामेश्वर प्रार्थीगण वकील
2. श्री रोहित सोंलकी विप्रार्थीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :– 22.01.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा रामसीन पटवार क्षेत्र रामसीन, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जसोल तहसील पचपदरा के खसरा न0 910/38 रकबा 6.02 बीघा मे आई हुई है । प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर एकमात्र प्रार्थीगण का कब्जा कास्त है। विप्रार्थीगण सख्या 1 ता 05 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 ता 5 प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी होने के कारण प्रार्थी एव विप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि की सीमाओ की बाउण्ड्री को लेकर भारी संशय व्याप्त है। विप्रार्थीगण सं. 1 वे 5 नाजायज तौर से प्रार्थीगण के खेत की सेढा माठ को तोडते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में जबरन कब्जा करने पर आमदा है। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अवरोध पैदा कर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 18:54:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करवाना चाहते है।प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दिनांक 01.04.2019 दर्ज कर विप्रार्थीगण सम्मन जारी किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 05 के वकील उपस्थित । दीगर विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस रसीदे पेश होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी । तहसीलदार पचपदरा को दिनांक 14.02.2020 को सीमाकंन कर कच्चे नेखम स्थापित हेतु तहरीर जारी की गयी। तहसीलदार पचपदरा से दिनांक कमांक/भू0अ0/2020/2321 दिनांक 23.11.2020 को नेखमबंदी की पालना रिपोर्ट पेश हुई ।

दोनो पक्षों के वकील की बहस को सुना गया। तहसीलदार पचपदरा की नेखमबंदी की पालना रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त नेखमबंदी फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2020 को कनफर्म किया जाता है फर्द मौका नेखमबंदी दिनांक 19.06.2020 के अनुसार पक्की नेखमबंदी स्थापित करने हेतु आई .एल.आर बालोतरा को आदेशित किया जाता है। यदि पुलिस ईमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस जाब्ता प्राप्त करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

आज दिनांक 22.01.2021 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 18:54:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner